संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश

विन्ध्याचल भवन, भोपाल–462014

संभागीय एवं जिला उद्यानिकी अधिकारियों की बैठक दिनांक 24 एवं 25–6–2015 का कार्यवाही विवरण

समस्त संभागीय एवं जिला उद्यानिकी अधिकारियो की समीक्षा बैठक दिनाक 24 एव 25 जून 2015 को भोपाल में आयोजित की गई। उक्त बैठक में सलग्न सूची अनुसार अधिकारी उपस्थित हुए। बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार:–

1. बैठक के प्रथम दिवस श्रीमती सुधा चौधरी, प्रबध सचालक म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड तथा बोर्ड के अधिकारियो द्वारा बोर्ड की योजनाओ का प्रस्तुतीकरण दिया गया । उन्होने बताया कि बोर्ड का "विध्या वैली" नाम से ब्राण्ड स्थापित है जिसके तहत 32 प्रकार के प्रसस्कृत FMCG उत्पादो का विकय उचित दर पर किया जा रहा है । इन उत्पादो के विकय हेतु कोई बिचौलिय नही हैं । प्रसस्करण का कार्य स्व–सहायता समूह (SHG) द्वारा किया जाता है । ये इकाईया शुद्धता एवं गुणवत्ता के मानकों के अनुसार अपने क्षेत्र से कच्चा माल जैसे मिर्ची, हल्दी, धनिया इत्यादि कय कर प्रोसेसिंग एव बोर्ड द्वारा निर्धारित पैकेजिग पश्चात उत्पाद (अचार, मुरब्बा, धनिया, मिर्च, हल्दी पाउडर आदि) तैयार कर बोर्ड द्वारा नियुक्त सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को विक्रय करती हैं जिसे बाजार मे "विंध्या वैली" नाम से विकय किया जाता है। ये उत्पाद सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर एवं रिटेलर के माध्यम से बाजार में पहुचते हैं । विध्या वैली नाम से इनके उत्पाद बाज़ार में स्थापित हो चुके हैं। इनके विकय से जो लाभ प्राप्त होता है वह इन स्व–सहायता समूहों को प्राप्त होता है । श्रीमती चौधरी ने बताया कि उद्यानिकी की गतिविधियो को खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं के साथ मिलकर कार्य करने से एक ओर जहा उद्यानिकी के उत्पादन को अच्छा बाज़ार मूल्य मिलेगा वही इसके विकय से विध्या वैली का बाजार बढेगा व उत्पादकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा, जिससे उनकी आय मे वृद्धि होगी एव स्व–सहायता समूह के माध्यम से लोगो को रोजगार भी मिलेगा । भारत सरकार की प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यकम योजनांतर्गत उद्यानिकी प्रसंस्करण के लिये कोई इकाई स्थापित करते हैं तो इस योजना मे रूपये 25.00 लाख तक का ऋण दिया जा सकता है । इसके लिए कलेक्टर की अध्यक्षता मे एक समिति गठित है जिससे अनुमोदन प्राप्त कर बैको को भेजे जाने की प्रकिया है । राज्य शासन की मुख्यमत्री स्वरोजगार योजनातर्गत रू 10.00 लाख तक के ऋण की सुविधा है । इन योजनाओ की शर्त यह है कि लाभार्थी को ऋण प्राप्त करने पर प्रति 1.00 लाख पूजी निवेश पर एक व्यक्ति को रोजगार देना आवश्यक होगा, इससे रोज़गार भी उपलब्ध होगा । धन्यवाद प्रस्ताव के साथ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का प्रस्तुतीकरण समाप्त हुआ ।
2. बैठक के अगले सत्र में निर्णय लिया गया कि एक सप्ताह मे समस्त प्रथम/द्वितीय श्रेणी अधिकारी, व उ.वि.अ. उ.वि.अ. एव ग्रा.उ.वि.अ. के 'जी–मेल' पर ई–मेल एड्रेस निर्मित किये जाये। उक्त मेल एड्रेस का ग्रुप बनाकर समस्त अधिकारी कर्मचारी आवश्यक पत्र/सूचना मेल से शीघ्रता से प्राप्त कर सकेगे।

3. प्रदेश की प्रत्येक नर्सरी से 1.00 लाख कृषकों को जोडा जाये, जिससे 307.00 लाख कृषक सीधे उद्यानिकी से जुड़ जायेंगे। आगामी 2 वर्ष में 15 लाख कृषकों को जोडने का लक्ष्य लिया जाये।
4. प्रदेश के कुछ उद्यानिकी कृषक शासकीय अनुदान प्राप्त किये बगैर स्वयं के व्यय से उद्यानिकी फसले लेते हैं। ऐसे कृषकों के फसल के रकबे को उत्पादन के रकबे मे शामिल नही किया जाता है, जबकि इससे भी उद्यानिकी का क्षेत्र विस्तार होता है। अतः ऐसे कृषको की फसलो के रकबे को उत्पादन, उत्पादकता के आकडों की रिपोर्ट में शामिल किया जाये।
5. प्रदेश के किसानों के सब्जी, फल, उत्पादन के खेत से मार्केटिग तक के समय मे होने वाले नुकसान को कम करना होगा। अतः प्रत्येक जिले में पैक हाउस, राईपनिग चेबर, कोल्ड स्टोरेज प्याज भण्डार गृह की स्थापना होनी चाहिये। इसी प्रकार प्रत्येक जिले मे मिनी फूड पार्क एव सभाग में मेगा फूड पार्क स्थापित करने के प्रयास किये जायें।
6. मनरेगा के उप संचालक श्री एम.पी.एस. बुन्देला ने मनरेगा अतर्गत ली जा सकने वाली उद्यानिकी परियोजना का प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया । इस परियोजना के तहत रू. 200.00 करोड उद्यानिकी फल क्षेत्र विस्तार एव नर्सरी विकास हेतु बजट प्रावधान रखा गया है, जिसका कियान्वयन उद्यानिकी के सहयोग से किया जायेगा।
7. एम.पी. एग्रो के उप महाप्रबंधक श्री एस.सी. श्रीवास्तव द्वारा उद्यानिकी की योजनाओं के ऑनलाईन पजीयन एवं तदुपरान्त सम्पूर्ण योजना (माइक्रो ईरीगेशन) के कियान्वयन हेतु तैयार किये जा रहे सॉफ्टवेयर के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई।
8. कृषि यत्र निर्माता कंपनियों से सम्पर्क कर उन्हें कहा जावे कि वे अपने यत्रों को नर्सरी मे प्रदर्शन हेतु रखे, जिससे कृषक उन्हे देख–समझ सकें।
9. जिला अधिकारियो ने अभी तक उनके जिले में बगैर लायसेंस के उद्यानिकी फसलों के बीज विक्रय कर रहें हैं, बीज विक्रेताओं की जानकारी प्राप्त नही की है। जिला अधिकारी लायसंसिग अथॉरिटी हैं, अतः ऐसे बगैर लायसेंसधारी बीज विक्रेता की कलेक्टर के सहयोग से जाच कर कार्यवाही सुनिश्चित् की जावे।
10. इन्दौर के न्यायालयीन प्रकरण कमाक डब्ल्यू.पी. 1006/14 – द्वारा म.प्र. बीज एव कीटनाशक विक्रेता संघ, को गभीरता से प्लीड किया जाये। इसके सभी आवश्यक तकनीकी पहलुओ का गहन अध्ययन कर शासन पक्ष मजबूती से रखा जावे ।
11. यह निर्णय लिया गया कि संयुक्त सचालक उद्यान, भोपाल सभी उद्यानिकी फसलों की फसलवार तकनीकी कार्यमाला की बुकलेट छपवा कर समस्त जिला कार्यालयो/रोपणी/प्रक्षेत्रो को भिजवायेंगे एवं विभाग की वेबसाईट पर भी अपलोड करवायेंगे।
12. वर्ष 2015–16 से मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अतर्गत वेदर स्टेशन 10–15 कि.मी के क्षेत्र मे स्थापित होना है। इस हेतु उपयुक्त स्थान देख लिया जाये। सबधित कपनी का आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाये।
13. जिलों द्वारा वर्ष 2013–14 का अंतिम अनुमान एव 2014–15 के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अनुमान के आकड़े HAPIS में अविलम्ब अपलोड किये जाये।
14. प्रदेश में हॉर्टीकल्चर हब योजना लागू करने हेतु 4 जिलो का चयन हो चुका है। इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। जिला अधिकारी इसको पढ ले एव इसका अध्ययन कर ले।
15. प्रत्येक जिले के हर ब्लॉक मे उद्यानिकी का ऑफिस खोला जावे एव वहा पर बोर्ड प्रदर्शित कर ब्लाक में पदस्थ प्रत्येक अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नंबर लिखा जावे। यह कार्य 10 जुलाई 2015 तक पूर्ण किया जावे।
16. सृजन सस्था के प्रतिनिधियों द्वारा उनके कार्यकलापों का प्रस्तुतीकरण किया गया। यह बताया गया कि वर्ष 2001 में स्थापित यह सस्था उद्यानिकी को बढावा देने हेतु कृषको के हित मे कार्य

करती है। वर्तमान में संस्था से लगभग 2000 कृषक जुड चुके हैं। उनके द्वारा क्लस्टर एप्रोच पर कार्य किया जाता है। संस्था से जुड कर कार्य करने से कृषको का विकास होगा, लागत कम होगी व श्रम की बचत होगी

17. प्रदेश में 307 नर्सरियां हैं। प्रत्येक नर्सरी से 1000 से 2000 उद्यानिकी कृषकों/उद्यमियो को जोडकर उन्हें वास्तविक उत्पादन में लाना है। इससे कृषकों की आमदनी में वृद्धि होगी। प्रत्येक ग्राम में ग्राम उद्यानिकी समिति गठित कर यह कार्य किया जावे। प्रत्येक ग्राम उद्यानिकी समिति में हर जिले में 6000 से 10000 तक उद्यानिकी के कृषक जुड़ जायेंगे। इस हेतु प्रत्येक ग्राम मे "ग्राम चौपाल" लगाना होगा, पोस्टर–बैनर छपवाने होंगे, उद्यानिकी कृषकों की सफल कहानिया छपवा कर बंटवानी होंगी।

18. प्रत्येक जिले में 500 मिनि प्रोसेसिंग यूनिट खादी ग्रामोद्योग – विन्ध्या वैली के साथ मिलकर लगानी होंगी, जिसमें उद्यमी किसानों को जोड़ना होगा। इस कार्य को साक्षरता मिशन की तरह एक अभियान की तरह हाथ में लेकर करना होगा।

19. प्रदेश मे 52000 ग्रामो मे एक–एक ग्राम उद्यानिकी समिति बनाई जाये, जिसमें 10–15 सक्रिय सदस्य हों। उद्यानिकी को व्यवसाय से जोड़ कर प्रत्येक गाव मे इस समिति के माध्यम से इसका प्रचार–प्रसार किया जावे। 15 लाख किसानों के ऐसे किसानों के समूह जो उद्यानिकी मे रूचि रखते हो, तैयार कर लिये जायें । यह कार्य 10 जुलाई, 2015 तक हो जाना चाहिये।

20. उद्यानिकी के जिन लोनी कृषकों का बीमा कंपनियों द्वारा फसल बीमा कराया जाता है, उन्हे ऋण प्रदायक बैंको द्वारा प्रीमियम की रसीद नही दी जाती। अतः जिला अधिकारी जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में यह मुददा उठा कर इस पर निर्णय करायें।

21. माईक्रो ईरीगेशन योजना अंतर्गत जो कंपनियां किसानों के हित मे कार्य नही कर रही है, अमानक स्तर की सामग्री प्रदाय कर रही है तथा एग्रीमेंट अनुसार after sales Service नही दे रही है, उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के प्रस्ताव भेजे जावें। ब्लेक लिस्टेड कराने की कार्यवाही की जाये। कंपनियों का चयन करते समय यह देखा जावे कि पूर्व मे जिस कंपनी द्वारा एग्रीमेंट के अनुसार किसानों का कार्य नहीं किया है एव जिसके विरूद्ध उपभोक्ता फोरम में प्रकरण दर्ज हो, वह कंपनी कार्य हेतु पंजीकृत न हो सके।

22. सी.एम. हेल्प लाईन के प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जाये। संचालनालय स्तर 1.3.1.4 तक आने पर यह सुनिश्चित् हो जाता है कि 1.1.1.2 स्तर के अधिकारियों ने निराकरण करने मे रूचि नही लेकर लापरवाही प्रदर्शित की है।

23. डाटामेशन कंसल्टेंट्स प्रा.लि. से किसानों का इंपैक्ट असेसमेंट करवाया है। संभागीय संयुक्त संचालक उक्त रिपोर्ट का अध्ययन कर ले एव एक निश्चित् तिथि को इस संबध मे विस्तृत चर्चा करे।

24. आगामी बैठक हेतु तिथि 15 से 30 अगस्त के बीच की निर्धारित की जायेगी।

अंत में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त की गई।

(एम.एस. धाकड)
संचालक,
उद्यानिकी एव प्रक्षेत्र वानिकी
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक / एफ–2 / मी.–जून.15 / 2015–16 / / 71 भोपाल, दिनांक 4-7-2015

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, म.प्र. रोजगार गारण्टी परिषद, अरेरा हिल्स, भोपाल।
3. प्रबन्ध संचालक, म.प्र. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल।
4. प्रबन्ध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि., भोपाल।
5. अपर संचालक उद्यान, संचालनालय। (श्री खरटे)
6. संयुक्त संचालक उद्यान, भोपाल / इन्दौर / उज्जैन / ग्वालियर / रीवा / जबलपुर / सागर / नर्मदापुरम–होशंगाबद संभाग।
7. उप / सहायक संचालक उद्यान, संचालनालय ....
6. उप / सहायक संचालक उद्यान, जिला .... (समस्त)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक,
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी,
मध्यप्रदेश